



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9009-DB

आरक्षित:-09.12.2025

प्रदत्त किया गया:-14.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 10604/2024

बंशी

....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : बिश्राम तिवारी, रितेश सिंह, सुरेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अनिल कुमार यादव, जी.ए.

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

- विद्वान ए.जी.ए. ने सूचित किया कि सूचनादाता को नोटिस तामील कराया गया है, लेकिन किसी ने भी इस अपील का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए।
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बिश्राम तिवारी और श्री रितेश सिंह, राज्य के विद्वान एजीए को सुना और निचली अदालत के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आपराधिक अपील मुजफ्फरनगर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) अधिनियम द्वारा विशेष कि मामला अपराध संख्या 612/2016 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 10/09/2017 (राज्य बनाम दर्शन और अन्य) में दिनांक 18.9.2024 को पारित निर्णय और आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के विरुद्ध दायर की गई है, जो के अंतर्गत धारा 363, 366, 376डी आईपीसी और धारा 5/6 पॉस्को अधिनियम के तहत दाखिल किया गया है। इसमें अपीलकर्ता को धारा 376डी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने का दंड, और जुर्माना न भरने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास, तथा धारा 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने का दंड, और जुर्माना न भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। 1,00,000 रुपये का जुर्माना पीडित को दिया जायेगा।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता की लगभग 15 वर्ष की पुत्री कक्षा 10 की छात्रा है। बीस दिन पहले, एक सह-ग्रामीण के रिश्तेदार, सुंदर और दर्शन, दो बच्चों के साथ गांव आए थे। दर्शन मैकेनिक का काम जानता था, और शिकायतकर्ता ने उसे मैकेनिक के रूप में काम पर रखा था क्योंकि उसके घर का निर्माण कार्य चल रहा था। दिनांक 14.11.2016 को शाम लगभग 6 बजे, दर्शन उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। उसे उसके बड़े बहनोई मोहकम, श्याम सुंदर आदि ने देखा, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बेटी को अपने साथ ले गया।

5. जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, निचली अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376-डी और पॉस्को अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आरोप तय किए।

6. आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पी.डब्लू. 1, कविता (सूचनादाता); पी.डब्लू. 2, पीड़िता; पी.डब्लू. 3, डॉ. अनुपमा; पी.डब्लू. 4, मनोज कुमार (मुख्य आरोपी); पी.डब्लू. 5, मुख्य अभियोजक प्रदीप कुमार और पी.डब्लू. 6, उप-निरीक्षक सुभाष कुमार की गवाही ली।

8. पी.डब्लू.1, मुखबिर ने निचली अदालत के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण को साबित किया और आगे बताया कि उसकी बेटी को पुलिस ने 3-4 दिन बाद बरामद किया था। घर लौटने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर उसने बताया कि बंशी और सुंदर उसे बहला-फुसलाकर जंगल ले गए थे, जहाँ उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने बताया कि वह गर्भवती हो गई थी।

9. जिरह के दौरान उसने बताया कि वह निरक्षर है और केवल हस्ताक्षर कर सकती है। उसने पुलिस स्टेशन के पास बैठे एक टाइपिस्ट से आवेदन टाइप करवाया था, जिसे टाइपिस्ट ने उसे पढ़कर सुनाया था। उसने बताया कि 14.11.2016 को पुलिस स्टेशन में दिए गए आवेदन में दर्शन, बंशी, सोमपाल और उषा के नाम लिखे थे। उसे घटना की तारीख याद नहीं है, लेकिन तब से छह साल बीत चुके हैं। उसकी बेटी और उसके बड़े बहनोई मोहकम ने उसे घटना की जानकारी दी थी। उसे यह भी याद नहीं है कि उसने पुलिस स्टेशन में आवेदन कब दिया था और न ही उसे यह याद है कि निरीक्षक ने उसका बयान दर्ज किया था या नहीं। घटना के समय उसकी बेटी 16 वर्ष की थी और कक्षा नौवीं की छात्रा थी। बंशी उसकी पड़ोसी है और दर्शन बंशी का रिश्तेदार है। उसने आरोपियों को अपनी बेटी को ले जाते हुए नहीं देखा था और न ही उसकी उनसे कोई दुश्मनी थी।

10. पीड़िता, पी.डब्ल्यू. 2, ने अपने मुख्य बयान में कहा कि 13.9.2016 को हुई घटना से दो महीने पहले, सुबह लगभग 7.30 बजे, वह स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में बंशी और दर्शन ने उसका मुंह बांध दिया और उसे एक खेत में ले गए। उसके मुंह को शॉल से बांधकर उन्होंने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। हालांकि, उसने इस घटना के बारे में अपने परिवार को सूचित नहीं किया। दो महीने बाद वह गर्भवती हो गई, और उसके बाद उसने 14.11.2016 को बंशी और दर्शन को इस बारे में बताया। उसी दिन, शाम लगभग 6 बजे, बंशी, दर्शन, सुंदर और सोमपाल उसे सोमपाल प्रधान की मोटरसाइकिल पर गन्ने के खेत में ले गए, जहां उन्होंने उसे बर्फी खिलाई, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे। इसके बाद दर्शन ने उसके साथ बलात्कार किया। बंशी, सोमपाल और सुंदर ने भी उसके पेट पर मुक्कों से वार किए, जिससे उसे दर्द हुआ। अगले दिन वह अपने घर लौटी और उसकी मां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि डॉक्टर ने उसकी चिकित्सकीय जांच की थी। उसने अपनी जन्मतिथि 8.10.2000 बताई और कहा कि उसने 2016 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. जिरह के दौरान पी.डब्लू. 2 ने बताया कि पहली घटना शाम को हुई थी, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना नहीं दी क्योंकि बंशी और दर्शन ने उसकी जान को खतरा बताया था। दूसरी घटना तीन-चार महीने बाद सुबह 7:30 बजे हुई, जब वह अपने घर से लगभग दो किलोमीटर दूर एक खेत में स्थित स्कूल जा रही थी। दूसरी घटना के बाद भी उसने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना नहीं दी। तीसरी घटना के बाद, उसने बंशी और दर्शन को बताया कि वह गर्भवती हो गई है और यह भी कहा कि उसने अपने परिवार वालों को भी सूचित कर दिया है। तब वे सोमपाल के साथ उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गए और उसकी पिटाई की। ले जाते समय उन्होंने उसे बर्फी खिलाई, जिसके बाद वह अर्ध-बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो वह गाँव के पास थी और बंधी हुई थी। उसने बताया कि 7-8 दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने सुंदर की पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो गाँव के रिश्ते के कारण उसकी भाभी है। सुंदर और उसकी पत्नी खाना और कपड़े पहुँचाते थे जहाँ उसे रखा गया था। सुंदर, दर्शन और अन्य लोग उसे पुलिस स्टेशन ले गए और उनसे अपने पक्ष में बयान देने को कहा। गर्भवती होने के बाद, आरोपियों ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसे रक्तस्राव हुआ और बाद में उसका गर्भपात हो गया। दर्शन उसका रिश्तेदार है, क्योंकि वह उसकी भाभी का भाई है। पहले उसने बंशी, सुंदर और दर्शन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। वह सुंदर की पत्नी उषा से अक्सर झगड़ती थी क्योंकि उषा उसे घर छोड़कर नर्तकी का काम करने के लिए कहती थी। बंशी, उषा का बेटा है।

12. पी.डब्लू. 3, डॉ. अनुपमा को पी.डब्लू. 2 के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। उन्होंने पी.डब्लू. 2 के खिलाफ बलात्कार के अपराध की संभावना के बारे में अपनी राय दी और पीड़िता की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से साबित किया कि वह 21 सप्ताह और दो दिन की गर्भवती थी। उन्होंने आगे कहा कि तीन महीने पहले पीड़िता के साथ बलात्कार के अपराध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

13. पी.डब्लू. 4, कॉलेज के प्रधानाचार्य ने साबित किया कि उनके स्कूल के एसआर रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 10.8.2000 दर्ज है। पीड़िता को 10.7.2014 को कक्षा IX में दाखिला मिला था और वह कक्षा X में अनुत्तीर्ण हो गई थी। उन्होंने पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र और पीड़िता की हाई स्कूल की अनुत्तीर्ण मार्कशीट प्रस्तुत की।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. पी.डब्लू. 4 ने जिरह में बताया कि उसने पीड़िता की जन्मतिथि पिछले स्कूल से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज की थी। पीड़िता ने हाई स्कूल में दो बार असफल होने के बावजूद अपने स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं लिया था। उसने पिछले स्कूल के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति रिकॉर्ड में प्रस्तुत की।

15. पी.डब्लू. 5 एक औपचारिक गवाह है।

16. पी.डब्लू. 6 ने जिरह में स्वीकार किया कि वह यह नहीं कह सकता कि पीड़िता के घर के पास कोई जंगल या कृषि क्षेत्र है या नहीं, उसने पीड़िता के पड़ोसी से इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। पीड़िता को 18.11.2016 को लुस्कर रोड तिराहे से बरामद किया गया था और उसी दिन धारा 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था। दिनांक 24.11.2016 को धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। उसकी चिकित्सा जांच 21.11.2016 को की गई थी। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी उम्र 17 1/2 वर्ष पाई गई। उसने बलात्कार और पीड़िता के गर्भधारण के अपराध से संबंधित कोई भी नमूना एफएसएल को नहीं भेजा। इस मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह गवाही देने के लिए सहमत नहीं हुआ।

17. आरोपियों के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

18. विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को धारा 363, 366, 376-डी भा.द.सं. और 5/6 पॉस्को अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

19. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री तथा निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि पीड़िता के साथ पहली घटना, उसके स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, 13.9.2016 को अपीलकर्ता बंशी और सह-आरोपी दर्शन द्वारा घटित की गई थी। इसके बाद, दूसरी घटना 14.11.2016 को घटी। पीड़िता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि दूसरी घटना 13.9.2016 की घटना के 3-4 महीने बाद घटी थी। हालांकि 13.9.2016 से 14.11.2016 तक, केवल दो महीने और दो दिन की अवधि ही बीती प्रतीत होती है। प्रथम गवाह ने 14.11.2016 को पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया था। तीसरे गवाह के बयान से स्पष्ट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि पीड़िता 22.11.2016 को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार 21 सप्ताह और दो दिन की गर्भवती पाई गई थी। अतः, पीड़िता की गर्भावस्था की अवधि पाँच महीने, एक सप्ताह और दो दिन हो जाती है, जैसा कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया है। अतः, पीड़िता के स्वयं के बयान के अनुसार, उसने कथित घटना की तिथि 13.9.2016 से पहले गर्भ धारण किया था, जो कथित तौर पर अपीलकर्ता बंसी और सह-आरोपी दर्शन द्वारा उसके साथ की गई थी। पीड़िता ने अपीलकर्ता की माँ उषा के साथ अपने झगड़े को स्वीकार किया है। उसने सुंदर और सोम पाल के साथ उसे भी इस मामले में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान जांच अधिकारी ने उन्हें निर्दोष पाया और केवल अपीलकर्ता बंशी और सह-आरोपी दर्शन के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। यह स्थापित कानून है कि जहां गवाहों की मौखिक गवाही अदालत का विश्वास जगाती है, वहां चिकित्सा गवाही पर अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन जहां चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं, वहां गवाहों की मौखिक गवाही पर अविश्वास किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमांशु मोहन राय बनाम मामले में यह फैसला सुनाया है। **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम (2017) 4, सुप्रीम कोर्ट केस, 161** में यह माना गया है कि "एक अलग संदर्भ में, इस न्यायालय ने गंगाभवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी में यह टिप्पणी की है कि यदि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, तो कानून यह है कि यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी की प्रत्यक्षदर्शी गवाही का चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्य मूल्य है, लेकिन जहां चिकित्सा साक्ष्य इस हद तक जाता है कि यह प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है।"

20. निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, निराधार है। निचली अदालत ने स्कूल के दस्तावेजों में दर्ज उसकी जन्मतिथि की पुष्टि किए बिना ही पी.डब्ल्यू. 2 के हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर विश्वास कर लिया। यह स्थापित कानून है कि स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **पी. युवा प्रकाश बनाम राज्य, 2023, लाइव लॉ (एससी) 538** के मामले में कहा है कि निचली अदालत के समक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि पहले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्कूल में प्रवेश के समय उसकी जन्मतिथि वही थी जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय ने **संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2019 (एससी), 4364** के मामले में कहा है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि का समर्थन करने वाले अंतर्निहित स्कूल दस्तावेजों के बिना, हाई स्कूल प्रमाण पत्र को नाबालिग की सही जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता।

21. वर्तमान मामले में, पीड़िता की पांच महीने से अधिक की गर्भावस्था का बिना किसी स्पष्टीकरण के उल्लेख, साथ ही पीड़िता के गर्भपात से संबंधित किसी डीएनए रिपोर्ट का अभाव, अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से झूठा साबित करता है। यह स्थापित कानून है कि बलात्कार के अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पीड़िता का मात्र बयान ही पर्याप्त है, लेकिन ऐसा बयान विश्वसनीय, सत्य, विरोधाभास रहित, भरोसेमंद और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने **राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2012) 8 एससीसी 21** के मामले में, शिकायत में कही गई बातों और न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के संबंध में पीड़िता के बयानों में पूर्णतः विरोधाभास पाया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं। दोषसिद्धि को पलटते हुए और यह मानते हुए कि पीड़िता को 'उत्कृष्ट गवाह' नहीं माना जा सकता, न्यायालय ने निम्नानुसार राय दी:

22. हमारी राय में, 'विश्वसनीय गवाह' उच्च कोटि का और उच्च क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका बयान निर्विवाद होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे गवाह के बयान को बिना किसी संकोच के उसके मूल रूप में स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की सामाजिक स्थिति अप्रासंगिक होगी और प्रासंगिक बात यह होगी कि उसके द्वारा दिए गए बयान में सत्यता है या नहीं। इससे भी अधिक प्रासंगिक बात यह होगी कि बयान शुरू से अंत तक, यानी गवाह द्वारा प्रारंभिक बयान देने के समय से लेकर अंततः न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान तक, सुसंगत हो। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी अवधि और कितनी भी कठिन जिरह का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, उसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा बयान प्रत्येक तथ्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से मेल खाना चाहिए। बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध करने का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय जैसे अन्य सहायक सामग्रियों में से एक। उक्त बयान अन्य सभी गवाहों के बयानों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू होने वाली कसौटी के समान होना चाहिए, जहां आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की कड़ी में कोई भी गुम कड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी गवाह का बयान उपरोक्त कसौटी के साथ-साथ लागू होने वाली अन्य सभी समान कसौटियों पर खरा उतरता है, तभी उसे 'विश्वसनीय गवाह' कहा जा सकता है, जिसका बयान अदालत बिना किसी पुष्टि के स्वीकार कर सकती है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल पहलुओं पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियां, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, उक्त बयान से महत्वपूर्ण विवरणों में मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत मूल बयान पर भरोसा करके अन्य सहायक सामग्रियों की जांच कर अपराधी को लगाए गए आरोप का दोषी ठहरा सके।

22. कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि यौन अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन यदि अभियोक्ता की गवाही अविश्वसनीय और अपर्याप्त पाई जाती है, तो दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

31. यह सच है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पीड़िता का अकेला साक्ष्य पर्याप्त होता है, बशर्ते वह विश्वसनीय हो और पूरी तरह से भरोसेमंद, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो। लेकिन, इस मामले में, पीड़िता के साक्ष्य में कई कमियां हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसका साक्ष्य इस श्रेणी में नहीं आता और अपीलकर्ता को उक्त अपराधों का दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

32. वास्तव में, उसके धारा 164 के बयान, धारा 161 के बयान (सीआरपीसी), एफआईआर और अदालत में दिए गए बयान में तथ्यों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसलिए, उसके साक्ष्य की स्वतंत्र अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से पुष्टि करना आवश्यक था, जो उसकी बहन ऋतु या बिमला देवी की जांच द्वारा किया जा सकता था, जो उसके कथित अपहरण के समय घर में मौजूद थीं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बिमला देवी को गवाह के रूप में पेश किए जाने के बावजूद उनकी जांच नहीं की गई और बाद में लोक अभियोजक ने उन्हें छोड़ दिया। इस आधार पर कि वह अपीलकर्ता द्वारा बहकाई गई है।"ने माना है कि जहां पीड़िता का बयान न्यायालय का विश्वास नहीं जगाता, वहां आरोपी को उसी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

23. उपरोक्त विचार के मददेनजर, हम अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए इच्छुक हैं। निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष मामले के तथ्यों और प्रासंगिक कानून के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं।

24. निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश केवल अपीलकर्ता बंशी के विरुद्ध रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह कोई अन्य मामला नहीं चाहती है।

25. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक अनुपालन के लिए निर्णय की प्रति सहित निचली अदालत का रिकॉर्ड निचली अदालत को लौटा दिया जाए।

26. अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

14 जनवरी, 2026

अतुल कुमार श्री.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।